आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.08.01 13:38:58 +05:30
Location: 192.168.29.160

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–65/2023

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

अकमानी देवी–—विक्रेता

प्रति

श्री राम प्रवेश राम वगैरह —–क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता अकमानी देवी, पति–छठन राम, ग्राम–सीदे खूर्द, पोस्ट–बेलचम्पा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता 1. श्री राम प्रवेश राम, पिता–श्री घुरचन्द राम, 2. श्रीमती सविता देवी, पति–श्री राम प्रवेश राम, दोनों निवासी ग्राम–सकरकोनी, पोस्ट–हरिगाँवा, थाना–मझिऑव, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मझिऑव से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 287/दिनांक 10.06.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, मझिऑव का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तथा विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) एवं क्रेतागण जाति के चमार (अनुसूचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, मझिऑव के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता अकमानी देवी, पति–छठन राम, ग्राम–सीदे खूर्द, पोस्ट–बेलचम्पा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने क्रेता 1. श्री राम प्रवेश राम, पिता–श्री घुरचन्द राम, 2. श्रीमती सविता देवी, पति–श्री राम प्रवेश राम, दोनों निवासी ग्राम–सकरकोनी, पोस्ट–हरिगाँवा, थाना–मझिऑव, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानन्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

–:भूमि का विवरण :–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
रैसुआ	143	पुराना–18 नया–13	पुराना–71 नया–267	0.07½	उ०–रेखा पाण्डेय, द०–दुखन साह, पू०–चलीतर कहांर, प०–पक्की सड़क,
		कुल रकबा:–		0.07½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 12/6/23
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

(हस्ताक्षर) 12/6/23
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Scanned with CamScanner